न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 345/2015 निर्णय दिनांक :– 18.9.19

उनवान

1. मोहन पुत्र श्री रामगोपाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं, 16 कस्बा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

..........वादी

बनाम

1. दयाशंकर पुत्र रामगोपाल
2. केदार पुत्र रामगोपाल
3. निर्मल कुमार पुत्र निरंजन कुमार

समस्त जाति ब्राहमण निवासी वार्ड नं. 16 करबा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक कार्यालय उपपंजीयन चाकसू जिला जयपुर राज0

....प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, व 92 "ए" राज0 टे0 एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से वाद प[...] प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि तहसील चाकसू के कस्बा चाकसू में स्थित खाता नं0 262 के खसरा नम्बर 5005, 5112 लगायत 5118 कुल किता [...] रकबा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

2.16 है0 स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम में दर्ज है जो कि गलत दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नं. 651, 667 , 666 से उससे पूर्व वादग्रस्त आराजी के खसरा नं. 2070 , 1932, 1933, 1935, 1950, 1951, 1954 थे जो राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा दुर्गालाल व भौरीलाल के संवत 2004 से 2023 में दर्ज थी। इसलिये वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म जात हित निहित है। वादी के पिता ने वादग्रस्त आराजी को अपने बयान देकर अपने पुत्र दयाशंकर अर्थात प्रतिवादी नं. 1 के नाम लगवाया था उच्च समय प्रतिवादी नम्बर 1 नाबालिक था। उसके पास आय का कोई स्त्रोत नही था। एक तरफ सारी सम्पति रामगोपाल जी की थी तथा उनके चारो पुत्र इस पर एक समान हक व हिस्सा रखते है उसी अनुसार उसी अनुसार 1/4 पर वादी व 1/4, 1/4 प्रतिवादी काबिज काश्त है। कानूनन भी पैतृक सम्पत्ति विरासत के आधार पर ही वितरीत होती है किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में अगर कोई नामान्तकरण खोला गया है तो वह प्रारम्भ से ही शून्य व अप्रभावी है। प्रतिवादी नं. 1 को अपगे नाम गलत दर्ज होने पूर्णतया जानकारी है तथा पिता के जीवनकाल तक प्रतिवादी नम्बर 1 ने कभी अकेला हिस्सा होने की बात नही की ना ही कभी हिस्सा देने के लिये मना किया। सभी भाई वादग्रस्त आराजी को मौके पर बांट रखा था तथा लगातार उपयोग उपभोग कर रहे है। बादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासत में वादी के दादा दुर्गालाल से प्राप्त हुई है जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

निहित है। वादी ने कहा कि मेरे हिस्से की जमीन मेरे नाम लगवा दो तो प्रतिवादी नं. 1 पहले तो वादी के नाम हिस्सा लगवाने के लिये आश्वस्त करता रहा। दिनांक 05.10.2015 को प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी को मौके पर आया और वादग्रस्त आराजी को बेचान करने के लिये दिखाने लगा तो वादी ने पूछा कि वादग्रस्त आराजी में से 1/4 हिस्सा मेरा है व मै काबिज हूँ तो प्रतिवादी नं. ने धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी का वेचान मै दादागिरी करने वाले लोगो को कर दूंगा जो दादागिरी के बल पर तुमसे जबरन कब्जा ले लेगे। प्रतिवादी नं. 1 की धमकी व कार गुजारी को देखते हुये वादी के लिये आवश्यक हो गया है कि वह न्यायालय श्रीमान से घोषणा की डिक्री खातेदारी प्राप्त कर प्रतिवादी नं. 1 के नाम दर्ज हिस्से 1/4 की आराजी घोषणा की डिग्री खातेदारी प्राप्त करे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा दे कि वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा ले , बादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन , दान , बेचान व अन्य हस्तानान्तरण नहीं करे। दावे के लिये वाद कारण दिनांक 05/10/2015 को जब प्रतिवादी द्वारा मोके पर आकर वादग्रस्त आराजी को बेचान करने की धमकी दी तब से पैदा होकर निरन्तर जारी है। दावा अन्दर मियाद कानून मियगाद प्ररतुत है। दावा उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। माननीय न्यायालय को दावा सुनने व तय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। दावा बहक वादीगण [illegible] प्रतिवादीगण घोषणा का डिग्री किया जाकर वाद[illegible] में वर्णित आराजी वादी का प्रतिवादीगण नमब्र 1 के नाम द[illegible] हिस्से में से 1/4 का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्त आशय का राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवा कि वो वादग्रस्त आराजी वर्णित मद नं. 1 में वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा न डाले , वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बिना विधिक प्रकिया अपनाये जबरन बेदखल नहीं करे वादग्रस्त आराजी को किसी भी अन्य को रहन दान बेचान नही करे न ही किसी अन्य से करावे। अन्य कोई अनुतोष जो मान्य न्यायालय उचित समझे प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें। दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये नोटिस की गयी तो, प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से सुरेश शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालत नामा पेश किया गया व प्रतिवादी नम्बर 2 स्वयं हाजीर आया व प्रतिवादी नम्बर 3 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजीर नही होने पर दिनांक 24.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा दावे का जवाब दावा इस प्रकार पेश किया गया कि वाद पत्र का पैरा नंबर 1 में वर्णित तथ्य जमीन होना तथा उक्त मिन प्रतिवादी के नाम होना स्वीकार है बाकि तथ्य गलत होनेसे अस्वीकार वाद पत्र के मद नं. 02 में वर्णित सजरा गलत होने से अस्वीकार है।वाद पत्र के मद नं. 03 में वर्णित तथ्य जमीन होना स्वीकारहै बाकि तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादी का यह कह[illegible] है कि जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम [illegible] के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो तथा वादी की पैतृक संप[illegible] हो। जिसमें वादी का जन्मजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

हिस्सा निहित हो। गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि सही तथ्य यह है कि उक्त जमीन वादी व मिन प्रतिवादी के पिता रामगोपाल जी के नाम दुर्गालाल जी से नहीं आकर भोरीलाल जी से रामगोपाल जी के नाम आई है भोरीलाल जी ने अपने जीवन काल में रामगोपाल जी की सेवा सुश्रुषा से खुश होकर उक्त जमीन रामगोपाल जी के नाम लगाई जो कुल 17 बीघा जमीन रामगोपाल जी के नाम लगवाई इस प्रकार उक्त जमीन रामगोपाल जी के अपने पिता दुर्गालाल जी से नहीं आकर भोरीलाल जी से आई है जो पैतृक संपत्ति नहीं है। उक्त जमीन को भोरीलाल जी पटेल ने अपने जीवनकाल में ही रामगोपाल जी को निर्देश देते हुये भोरीलाल जी द्वारा जो जमीन रामगोपाल जी को दी गयी उसको भोरीलाल जी ने अपने निर्देशानुसार 8.5 बीघा जमीन तो मिन प्रतिवादी के नाम लगवाई तथा 8.5 बीघा जमीन प्रतिवादी सं. 02 के नाम रामगोपाल जी से लगवाई इस प्रकार उक्त आराजी वादी की पैतृक संपत्ति नहीं है तथा ना ही वादी का उक्त आराजी पर दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार है तथा मिन प्रतिवादी अपनी उक्त आराजी पर काबिज होकर निर्विवाद रूप से काश्त करता आया है जिस पर बिजली कनेक्शन इत्यादि लगवा रखे है। वादी ने बदनियति पूर्वक मिन प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर उक्त दावा पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यहां यह भी बता देना आवश्यक है वादी बहुत ही लालची किश्म का व्यक्ति है प्रतिवादी सं. 02 केदार के नाम भी 8.5 बीघा जमीन भोरीलाल जी पटेल के निर्देशानुसार रामगोपाल जी ने जमीन नाम लगवाई थी पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादी ने उक्त जमीन को विवादित इसे नहीं किया है क्योकि वादी का कनिष्ठ पुत्र प्रतिवादी सं. 02 केदार के गोद चला गया है। वाद पत्र का मद नं. 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादी का यह कहना गलत है कि उक्त आराजी रामगोपाल जी की पैतृक संपत्ति हो बल्कि रामगोपाल जी के उक्त संपत्ति भोरीलाल जी ने नाम लगवाई थी और भोरीलाल जी के जीवनकाल में ही उनके निर्देशानुसार रामगोपाल जी ने भोरीलाल जी द्वारा दी गई जमीन उनके निर्देशानुसार प्रतिवादी सं. 04 व प्रतिवादी सं. 02 के नाम लगवाई इस प्रकार वादी का 1/4 हिस्सा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही वादी का उक्त आराजी पर कब्जा है तथा वादी का यह कहना गलत है कि उक्त आराजी पैतृक हो। वाद पत्र का मद नं. 05 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादी की स्वंय की जमीन है जिसका वादी से दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार नहीं है तथा ये भी गलत है कि

सभी भाईयो ने उक्त आराजी को आपस में बांटकर उक्त का उपयोग उपभोग कर रहे हो। बल्कि मिन प्रतिवादी स्वंय उक्त आराजी पर काबिज है तथा बिजली कनेक्शन करवा कर काश्त कर अपना जीविकापार्जन करता आया है तथा शुरू से ही मिन प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त रहा है वादी का कभी कोई कब्जा नहीं रहा तथा विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त कि नो प्रोजेशन नो डिक्लेरेशन इस आधार पर भी वादी का वाद पोषणीय नहीं है। वाद पत्र के मद नं. 06 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादी का यह कहना गलत है कि वादी की उक्त संपत्ति पैतृक संपत्ति हो जो विरासत में

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादी के दादा दुर्गालाल से आयी हो। जबकि उक्त संपत्ति वादी के पिता रामगोपाल के नाम भोरीलाल जी से आई है तथा वादी के पिता रामगोपाल जी ने भोरीलाल जी के निर्देशानुसार ही उनके जीवनकाल में ही उक्त आराजी मिन प्रतिवादी के नाम उनके कहे अनुसार लगवाई इस प्रकार उक्त आराजी पर वादी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वाद पत्र के मद नं, 07 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादी का यह कहना गलत है कि उक्त संपत्ति उसका 1/4 हिस्सा हो तथा उक्त संपत्ति प्रतिवादी के स्वंय के मालिकाना तथा कब्जा काश्त की जमीन है जिसको विक्रय करने व उपयोग उपभोग करने का पूरा पूरा अधिकार मिन प्रतिवादी को है। वाद पत्र के मद नं. 08 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है वादी का उक्त आराजी पर कोई हक हकूब नहीं है जिसके लिये वादी को कभी खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया जा सकता और ना ही मिन प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। वाद पत्र के मद नं. 09 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 10 में वर्णित तथ्य अन्दर मियाद होना भी गलत होने से अस्वीकार है। वाद पत्र के मद नं. 14 व 12 जवाब के मोहताज नहीं है। जवाब प्रतिवादी सं. 1 की ओर जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का उक्त दावा खारिज फरमाया जावे जो न्याय हित में न्यायोचित है।

दावे का जवाब दावा पेश होने पर [illegible] दावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 1 :– आया [illegible] वादी की पैतृक सम्पत्ति है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

––प्रमाण भार वादी

तनकी नम्बर 2 :– आया वादी वादग्रस्त आरजी की खातेदारी घोषणा करवाने का अधिकारी है।

––प्रमाण भार वादी

तनकील नम्बर 3 :– आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

––प्रमाण भार वादी

तनकी नम्बर 4 :– आया वादग्रस्त आरी वादी की पैतृक भूमि नही है बल्कि भौरीलाल जी ने उक्त सम्पत्ति रामगोपाल को दी थी, जिनसे प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम करवा दी।

––प्रमाण भार प्रतिवादी

5. अनुतोष :– तनकीयात कायम किये जोने पर साक्ष्य वादी व प्रतिवादी की ली गयी तो साक्ष्य वादी मोहनलाल, सुरेश शर्मा की ली जाकर साक्ष्य आगे नही करवाये जाने पर बन्द की जाकर शहादत प्रतिवादी दयाशंकर, सुरेन्द्र कुमार की गवाह करवायी जाकर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर दावा बहस में लगाया जाकर बहस दावा पक्षकारान वकील की सुनी गयी तो दौराने बहस वकील वादी दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में 2004 से 2023 में वादी के दादा दुर्गालाल व भौरीलाल के नाम दर्ज थी, इसलिये वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्मजात हित निहित है। वादी के [illegible] ने वादग्रस्त आराजी को अपने बयान देकर अपने पुत्र दयाशंकर अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू, (जयपुर)

नाम लगवाया था उस समय प्रतिवादी नम्बर 1 नाबालिग था उसके पास आय का कोई स्त्रोत नही था, एक तरफाा सारी सम्पत्ति रामगोपाल जी की थी तथा उनके चारो पुत्र इस पर एक समान हक व हिस्सा रखते है, उसी अनुसार 1/4 पर वादी व 1/4, 1/4 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। कानूनन पैतृक सम्पत्ति विरासत के आधार पर ही वितरित होती है। किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज के अभाव में अगर कोई नामान्तकरण खोला गया है तो वह प्रारंभ से ही शून्य है। वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है जो विरासत में वादी के दादा दुर्गालाल से प्राप्त हुयी है जिसमें वादी का जन्मजात हक व हिस्सा निहित है। दावा वादी डिक्री फरमाया जावे। जवाब बहस में वादी वकील की बहस का खंडन करते हुये व जवाब दावे का समर्थन करते हुये वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि वादी का यह कहना गलत है कि जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के नाम जमीन है वह दुर्गालाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हों। उक्त जमीन वादी व मिन प्रतिवादी के पिता रामगोपाल जी के नाम दुर्गालाल से नही आकर भोरीलाल जी से रामगोपाल के नाम आयी भौरीलाल जी ने अपने जीवनकाल में रामगोपाल जी की सेवा सुश्रुषा से खुश होकर उक्त जमीन रामगोपाल जी के नाम लगायी जो कुल 17 बीघा जमीन रामगोपाल के नाम लगवायी इस प्रकार उक्त जमीन रामगोपाल जी के अपने पिता दुर्गालाल जी से नही आकर भौरीलाल जी से आयी है जो पैतृक सम्पत्ति नही है। उक्त जमीन भोरीलाल जी पटेल ने अपने जीवनकाल में रामगोपाल जी को निर्देश देते हुये भोरीलाल जी द्वारा जो जमीन रामगोपाल जी को दी गयी

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

उसको भोरीलाल जी ने अपने निर्देशानुसार 8.5 बीघा जमीन तो मिन प्रतिवादी के नाम लगवायी तथा 8.5 बीघा जमीन प्रतिवादी संख्या 2 के नाम रामगोपाल जी से लगवाई। इस प्रकार वादी की पैतृक सम्पत्ति नही है ना ही वादी का उक्त आराजी पर दूर दूर तक कोई संबंध व सरोकार है। उक्त आराजी पर मिन प्रतिवादी काबिज होकर काश्त आया है जिस पर बिजली कनेक्शन आदि लगा रखे है वादी ने बदनियति पूर्वक प्रतिवादी को हैरान व परेशान करने की नियत से मिथ्या आधारों पर दावा पेश किया है जो खारिज किया जावे। प्रतिवादी ने आरआरटी 2010(2) पेज 1443 नवल किशोर बनाम ओमप्रकाश की नजीर पेश की । वादी ने दावे के समर्थन में एक्सपी 1 चाकसू पूर्व की जमाबंदी, एक्सपी 2 मिलना क्षेत्र, एक्सपी 3 जमाबंदी 2023–26, एक्सपी 4 जमाबंदी संवत 2004, एक्सपी 5 जमाबंदी वर्ष 2004 से 2023, एक्स पी 6 नामान्तकरण, एक्सपी 7 जमाबंदी सवत 2005 से 2019, बतौर दस्तावेज पेश किये व प्रतिवादी द्वारा एक्सडी 1 बिजली का बिल एक्सडी 2 नामान्तकरण एक्सडी 3 नामान्तकरण एक्स डी 4 खतौनी बन्दोबस्त 2004 से 2023, एक्सडी 5 बिजली का बिल बतौर सबूत पेश किये गये। पक्षकारान वकील की बहस पर गहनता से मनन करने व दावा जबाब दावा व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के आधार पर तनकीयात निर्णय निम्नानुसार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नम्बर 1 :– आया वादग्रस्त आराजी वादी की पैतृक सम्पत्ति है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति को पैतृक बताया है तथा कहा है कि

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

वादग्रस्त भूमि सम्वत 2004 से 2023 में वादी के दादा दुर्गालाल व भौरीलाल के नाम रिकार्ड में दर्ज थी। इसके विपरीत प्रतिवादी को अपने जवाब दावे में उक्त भूमि को पैतृक होने से इंकार किया है तथा कथित किया है कि वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी के पिता रामगोपाल के नाम दुर्गालाल जी से नही आकर भौरीलाल जी से आयी है। जिसे भौरीलाल जी ने अपने जीवनकाल में ही रामगोपाल जी को निर्देश देकर प्रतिवादी के नाम लगवाई है। इस संदर्भ में दोनो पक्षो के द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श –4 खतौनी सम्वत 2004 से 2023 में वादग्रस्त भूमि भौरीलाल व दुर्गालाल के नाम दर्ज है। स्वयं प्रतिवादी ने भी उक्त दस्तावेज प्रदर्श – डी4 के रूप में प्रस्तुत किया है किन्तु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मिसल बन्दोबस्त अधूरी है जिसमें खाते का प्रारंभ व अन्तिम पेज नही है इस संदर्भ में दोनो पक्षो ने अपनी अपनी नकल को पूरा होना कहा है इस पर विस्तृत रूप से दोनो दस्तावेज प्रदर्श – 4 व प्रदर्श डी–4 को एक साथ देखा गया तो स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ की प्रदर्श डी4 अधूरा है उसमें कुल किता व कुल रकबा भी अंकित नही है। ना ही खाते का प्रारंभ है। इसके विपरीत प्रदर्श – 4 जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसमें प्रथम पेज पर खातेदारों का नाम अंकित है जो निरंतर छः पेज की नकल है जिसके अंतिम पेज पर कुल किता 51 कुल रकबा 61 बीघा 3 बिस्वा अंकित है इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श –4 [illegible] है जिसमें वादग्रस्त भूमि को भोरीलाल व दुर्गालाल के नाम दर्ज हुआ है। तथा स्वीकृत रूप से दुर्गालाल वादी का दादा है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जिस नामान्तकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट आ रहा है कि इसके कॉलम नम्बर 5 में भौरीलाल व दुर्गालाल पिता श्रीनारायण अंकित है तथा कॉलम नम्बर 16 में रामगोपाल के द्वारा जाहिर करना बताया गया है तथा नामान्तकरण का आधार बंटवारा कॉलम नम्बर 14 अनुसार बताया गया है प्रतिवादी के अनुसार भूमि अकेले भौरीलाल की हो यह उक्त नामान्तकरण से सिद्ध नही होता है बल्कि उक्त भूमि भौरीलाल व दुर्गालाल दोनो की सिद्ध होती है इससे पूर्व तनकी नम्बर 1 के निर्णय में भी न्यायालय हाजा ने प्रदर्श 4 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को पेतृक व दुर्गालाल जी की भी होना स्वीकार किया है प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि जमीन भौरीलाल जी की है। जिन्होने रामगोपाल के नाम लगायी है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही है कि भूमि कभी भी केवल भोरीलाल के नाम रही हो तथा भौरीलाल ने रामगोपाल के नाम करवायी हो रिकार्ड के अनुसार ना तो उक्त भूमि कभी अकेले भोरीलाल के नाम रही ना ही उक्त भूमि भौरीलाल से रामगोपाल के नाम आयी। भौरीलाल से रामगोपाल के नाम का ना तो कोई नामान्तकरण है ना ही रामगोपाल के नाम की कोई जमाबंदी ही है। ऐसे में रामगोपाल को बयान करने या बंटवारा करने का कोई अधिकार हो यह भी सिद्ध नही है कि एक पिता किस प्रकार बंटवारे में अपने चार पुत्रों में से केवल एक पुत्र को ही भूमि दे सकता है। अर्थात नामान्तकरण नम्बर 16 कानून के अनुसार निष्पादित नही है। कानूनन भूमिया धारा 40 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही नियमित होती है नामान्तकरण नम्बर 16 ना विरासत का है , ना ही डिकी का है, ना ही किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज का है। ऐसे में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

जिस नामान्तकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट आ रहा है कि इसके कॉलम नम्बर 5 में भौरीलाल व दुर्गालाल पिता श्रीनारायण अंकित है तथा कॉलम नम्बर 16 में रामगोपाल के द्वारा जाहिर करना बताया गया है तथा नामान्तकरण का आधार बंटवारा कॉलम नम्बर 14 अनुसार बताया गया है प्रतिवादी के अनुसार भूमि अकेले भौरीलाल की हो यह उक्त नामान्तकरण से सिद्ध नही होता है बल्कि उक्त भूमि भौरीलाल व दुर्गालाल दोनो की सिद्ध होती है इससे पूर्व तनकी नम्बर 1 के निर्णय में भी न्यायालय हाजा ने प्रदर्श 4 के अनुसार वादग्रस्त भूमि को पेतृक व दुर्गालाल जी की भी होना स्वीकार किया है प्रतिवादी द्वारा यह कहना कि जमीन भौरीलाल जी की है। जिन्होने रामगोपाल के नाम लगायी है ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नही है कि भूमि कभी भी केवल भोरीलाल के नाम रही हो तथा भौरीलाल ने रामगोपाल के नाम करवायी हो रिकार्ड के अनुसार ना तो उक्त भूमि कभी अकेले भोरीलाल के नाम रही ना ही उक्त भूमि भौरीलाल से रामगोपाल के नाम आयी। भौरीलाल से रामगोपाल के नाम का ना तो कोई नामान्तकरण है ना ही रामगोपाल के नाम की कोई जमाबंदी ही है। ऐसे में रामगोपाल को बयान करने या बंटवारा करने का कोई अधिकार हो यह भी सिद्ध नही है कि एक पिता किस प्रकार बंटवारे में अपने चार पुत्रों में से केवल एक पुत्र को ही भूमि दे सकता है। अर्थात नामान्तकरण नम्बर 16 कानून के अनुसार [illegible]दित नही है। कानूनन भूमिया धारा 40 काश्तकारी अधिनियम [illegible] प्रावधानों के अनुसार ही नियमित होती है नामान्तकरण नम्बर 16 ना तो विरासत का है , ना ही डिकी का है, ना ही किसी रजिस्टर्ड दस्तावेज का है। ऐसे में उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चाकसू (जयपुर)

नामान्तकरण का कोई कानूनी आधार नही है। प्रतिवादी ने उक्त नामान्तकरण का आधार अपने बयानो में यह कहा है कि मेने भौरीलाल जी की सेवा करी थी तथा रामगोपाल जी को पानी पिलाया था, तम्बाकू भरा, पैर दबाया जिसके आधार पर मेरे नाम उक्त भूमि लगी हे। प्रतिवादी के उक्त बयान से भी स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी आधार ना तो हो सकता है ना ही नामान्तकरण में दर्ज है। ऐसे में प्रतिवादी यह साबित नही कर पाया कि उक्त भूमि भौरीलाल की है। जिन्होंने रामगोपाल को दी हो तथा रामगोपाल ने प्रतिवादी संख्या 1 को दी हो स्वयं प्रतिवादी के कथनों को भी यदि एक बार के लिये मान लिया जावे तो भी भूमि रामगोपाल के कथित नाम आने पर वह उसके चारो पुत्रों के लिये तो पेतृक ही कहलायेगी ऐसे मे चूंकि रामगोपाल के चार पुत्र है नियमानुसार भूमि पैतृक है प्रतिवादी ने अपने अकेले के नाम लगाये जाने का कोई ठोस आधार नही बताया है इस कारण उक्त तनकी को प्रतिवादी के खिलाफ व वादी के पक्ष में तय की जाती है। तनकी नम्बर 1 से 4 वादी के पक्ष में साबित होने के कारण दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 5005 रकबा 0.23 है0 खसरा नम्बर 5112 रकबा 0.29 है0 खसरा नम्बर 5113 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 5114 रकबा 0.27 है0 खसरा नम्बर 5115 रकबा 0.42 है0 खसरा नम्बर 5116 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 5117 रकबा 0.60 है0 खसरा नम्बर 5118 रकबा 0.16 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 2.16 है0 कस्बा चाकसू [illegible] आराजी में वादी को प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हिस्से में से 1/4 हिस्से का खातेदार

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे । पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
18.9.19
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:01:40 IST
Reason: SelfAttested